

16  $\frac{12}{24}$ 

पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्ष उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
पक्षी का प्रार्थन अन्तर्गत धारा 136L.R  
अध्याय, दुसरी इन्जान न्यायधित में  
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय  
पृथक से लिखा जाकर खुले कोर्ट  
सुनकर शां का किया। पत्रावली फासल  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
बाद तामील एकमील दाखिल दफ्तर हो



*[Signature]*  
16/12/24  
उपखण्ड अधिकारी  
पिठावा, जिला इलाहाबाद, मध्य प्रदेश

